

# हिजबुल्लाह प्रमुख, अपने मुख्यालय में एक इज़रायली "रिमोट ऑपरेशन" में मारे गये

सबसे खतरनाक "आतंकवादी" संगठन के मुखिया की इस मौत ने इज़रायल की इस ताकत का एक बार फिर सबूत पेश कर दिया कि वह सीमा पार भी कहीं भी किसी भी "आतंकवादी" को खत्म कर सकते हैं

-अंजन राय-

-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 28 सितम्बर।

हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरल्लाह की मृत्यु के साथ मिडिल ईस्ट की स्थिति ने और उन्नेजक मोड़ ले लिया है। इज़रायल ने लैबनान में बरत के पास एक दुःसाहसी हमला किया जिसमें हिजबुल्लाह चीफ मारा गया। इस घटना में समस्त सुरक्षा समुदाय को हिलाकर रख दिया।

इसने, सर्वाधिक खतरनाक "आतंकवादी" संगठन के सुप्रीम कमाण्डर को खत्म करने में इज़रायल को घातक पहुँच को दर्शाया है। नसरल्लाह करीब तीन दशक से हिजबुल्लाह का नेता था। नसरल्लाह की मृत्यु की पुष्टि ने इतना भय पैदा कर दिया है कि इज़रान ने कथित रूप से अपने सुप्रीम लीडर अली खुमैनी को किसी गुप्त

■ इस घटना से, "मिडिल ईस्ट" की सुरक्षा एजेन्सियाँ स्तब्ध हैं और इज़रान ने अपने सुप्रीम कमाण्डर अली खुमैनी को एक गुप्त स्थान पर छिपा दिया है।

■ जैसा कि विदित ही है, कुछ समय पूर्व ही इज़रायल ने हिजबुल्ला के उच्च स्तरीय सैन्य अधिकारी को, उनकी इज़रान यात्रा के दौरान ऐसे ही "रिमोट ऑपरेशन" द्वारा मार दिया था।

■ इस घटना ने इज़रान के समक्ष भारी दुविधा उत्पन्न कर दी है। अगर व आक्रमक रूख रखते हुए इज़रायल के खिलाफ सैन्य कार्यवाही करता है तो पश्चिमी देशों, विशेषकर, अमेरिका से सीधे संघर्ष व युद्ध की स्थिति में आ जाता है। यह उसकी वर्तमान विदेश नीति की पहल के खिलाफ है, जो कि पश्चिमी देशों से संबंध ठीक करने की कोशिश है।

■ दूसरी ओर अगर इज़रान हिजबुल्लाह प्रमुख की "हत्या" के बाद भी कुछ नहीं करता है तो मिडिल ईस्ट में "आतंकवादी" संगठनों का मुख्य संरक्षक होने का ओहदा खो देगा।

■ भारत के लिये भी यह हत्या शुभ संदेश नहीं है, क्योंकि इससे पाकिस्तान को एक बार फिर एक मौका मिल गया, "इस्तामिक देशों" को भारत के खिलाफ संगठित करने के लिये।

स्थान पर भेज दिया है।

कुछ समय पहले ही इज़रायल ने, इज़रान की यात्रा पर आए हिजबुल्लाह के

एक उच्च स्तरीय मिलिटरी अधिकारी

को, राजधानी तेहरान के उत्तर में एक स्थान पर खतम कर दिया था। इसके बाद

हिजबुल्लाह ने मिसाइल हमलों की

बरसात कर दी। हमला करने वालों में (शेष पृष्ठ 3 पर)

## क्या उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ के दिन पूरे होने वाले हैं?

यू.पी. के राजनैतिक हलकों में इन दिनों यह सवाल जोर शोर से पूछा जा रहा है

-जाल खंबाता-

-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 28 सितम्बर।

लोकसभा चुनावों के बाद से ही उत्तर प्रदेश की राजनीति और राज्य व्यवस्था में पहले जैसी नहीं रही है। सत्तारूढ़ भाजपा को देश के सबसे प्रतिष्ठित चुनावी मैदान में गंभीर झटका लगा, जब वह पिछले चुनाव के मुकामले 30 सीटें हारी। पार्टी देश भर में जितनी सीटें हारी उसकी आधी अकेले यू.पी. में थी। इस हार ने नरेन्द्र मोदी को प्रधानमंत्री के रूप में तीसरी पारी में अपने तुनक मिजाज सहयोगियों पर अधिक निर्भर बना दिया। देश में सबसे अधिक सीटों वाले राज्य में भाजपा की प्रतिद्वंद्वी अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी ने 80 में से 37 सीटें जीतीं, जो गत चुनाव से 32 अधिक थी।

इस नये राजनीतिक गणित का दोनों तरफ के नेताओं के महत्व पर प्रभाव पड़ना सुनिश्चित था तथा ऐसा हुआ भी। योगी आदित्यनाथ, जिनका मुख्यमंत्री के रूप में राज्य में पार्टी तथा प्रशासन पर पूरा नियंत्रण था की पकड़

■ विशेषज्ञों का कहना है कि यू.पी. जहाँ कभी योगी आदित्यनाथ की तूली बोलती थी, पर लोकसभा चुनावों के बाद से उनकी पकड़ ढीली पड़ने लगी है। हालांकि, उनके समर्थक हार के लिए केन्द्रीय नेतृत्व को दोषी ठहराने का प्रयास कर रहे हैं, पर, स्थानीय नेता व कार्यकर्ता योगी पर निशाना साध रहे हैं।

■ उत्तर प्रदेश में भाजपा 30 सीटें हारी जो कि पूरे देश में भाजपा द्वारा हारी गई सीटों की आधी है, इसी वजह से मोदी को प्रधानमंत्री के रूप में तीसरे कार्यकाल में जद (यू) और तेलुगुदेशम पर निर्भर होना पड़ा है।

■ चर्चा है कि इस वर्ष के अन्त में होने वाले विधानसभा उपचुनाव के नतीजों के बाद यू.पी. की राजनीति में भारी परिवर्तन हो सकता है।

कुछ ढीली होती नज़र आ रही है। उन्होंने तथा उनके समर्थकों ने चुनाव परिणामों के दोष से पल्ला झाड़ने का प्रयास किया, पर उनकी दलील पर कम ही लोगों ने विश्वास किया। आदित्यनाथ के समर्थकों ने राष्ट्रीय पार्टी को चुनाव अभियान के बारे में

लोक अदालत में 29.78 लाख मामलों का निस्तारण

जयपुर, 28 सितंबर। राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से वर्ष 2024 की तीसरी राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन शनिवार को किया गया। राजस्थान हाईकोर्ट सहित प्रदेश की अधीनस्थ अदालतों में विशेष बेंच गठित कर आपसी सहमति से मुकदमों का निस्तारण किया गया। राजस्थान

■ राजस्थान हाई कोर्ट और अधिनस्थ अदालतों में 514 बेंच का गठन कर शनिवार को 1162 अरब रुपये के अवॉर्ड भी जारी किये।

हाईकोर्ट और अधीनस्थ अदालतों में कुल 514 बेंच का गठन कर 29.78 लाख मुकदमों का निस्तारण किया गया। इनमें 5.51 लाख लंबित प्रकरण भी शामिल हैं। इसके अलावा 11.62 अरब रुपये के अवॉर्ड भी जारी किए गए। जस्टिस अनूप कुमार डंड ने लोक अदालत का विधिवत् शुभारंभ किया। जस्टिस डंड ने कहा कि लोक अदालत के माध्यम से अदालत में आए बिना ही मुकदमे का अंतिम निस्तारण हो जाता (शेष पृष्ठ 3 पर)

'मेरी दादी मृत्यु से चार दिन पहले कश्मीर आई थी'

-जाल खंबाता-

-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 28 सितम्बर। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने शनिवार को जम्मू-कश्मीर के बिसनाह में आयोजित जनसभा में बताया कि किस तरह से उनकी दादी तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को महसूस हुआ कि

■ प्रियंका गांधी ने कश्मीर की एक जनसभा में अपनी दादी की भावनापूर्ण यादें साझा कीं और बताया कि दादी इंदिरा गांधी को हत्या से चार दिन पहले महसूस हुआ कि खीर भवानी मंदिर जाना चाहिए। उस समय राहुल (14 वर्ष) और में (12 वर्ष) उनके साथ आए थे।

जम्मू-कश्मीर से बुलावा आया है और अपनी मृत्यु से मात्र चार दिन पहले खीर वे भवानी मंदिर में आई थीं तथा उस समय राहुल गांधी, जिनकी उम्र 14 साल थी तथा 12 वर्ष की वे स्वयं उनके साथ आये थे।

उन्होंने एक जनसभा में कहा कि भाजपा ने जम्मू-कश्मीर को अपनी राजनीतिक शतज में तब्दील कर दिया (शेष पृष्ठ 3 पर)

## मुम्बई युनिवर्सिटी के सीनेट पोल में उद्धव ठाकरे की शिव सेना ने शानदार जीत दर्ज की

राजनैतिक पंडितों का मत है कि ये नतीजे आगामी विधानसभा चुनावों को प्रभावित करेंगे

-डॉ. सतीश मिश्रा-

-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 28 सितम्बर। एक महत्वपूर्ण घटना, जिसका असर महाराष्ट्र के आगामी विधानसभा चुनावों पर पड़ना स्वाभाविक है, के अन्तर्गत, शिवसेना (यू.बी.टी.) ने आज मुम्बई विश्वविद्यालय की सीनेट के चुनाव में क्लीन स्वीप कर दिया।

चुनाव परिणामों की घोषणा हो जाने के बाद, आदित्य ठाकरे ने कहा कि यह तो केवल शुरुआत है तथा इसी प्रकार की जीत महाराष्ट्र के आगामी विधानसभा चुनावों में दोहरानी ही है।

युवा सेना, जिसके अध्यक्ष आदित्य ठाकरे हैं तथा जो शिवसेना (यू.बी.टी.) की युवा शाखा है, ने सीनेट चुनावों में इकतरफा जीत हासिल करते हुये, सभी 10 स्नातक सीटों पर बड़े शानदार तरीके से आर.एस.एस. के नेतृत्व वाली अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद को हराकर, विजय प्राप्त कर ली।

आदित्य ठाकरे ने शिवसेना (यू.बी.टी.) प्रमुख उद्धव ठाकरे के निवास, "मातोश्री" के बाहर, उल्लास से भरे दिखाई दे रहे कार्यकर्ताओं को

■ शिव सेना की युवा शाखा, युवा सेना के अध्यक्ष आदित्य ठाकरे ने कहा, यह तो बस शुरुआत है, आगामी विधानसभा चुनावों में यह नतीजा दोहराया जाएगा।

■ सीनेट मुम्बई युनिवर्सिटी की निर्णय लेने वाली सर्वोच्च निर्वाचित संस्था है और युनिवर्सिटी की हर गतिविधि पर नज़र रखती है। इसमें शिक्षक, प्रिंसिपल, कॉलेज मैनेजमेंट व ग्रैजुएट्स के प्रतिनिधि होते हैं। युनिवर्सिटी का बजट भी यही पारित करती है।

■ शिव सेना ने इस महत्वपूर्ण व प्रतिष्ठित चुनाव में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद को हराया है।

सम्बोधित किया। उन्होंने कहा कि सीनेट के लिये मतदान केवल मुम्बई में ही नहीं हुआ था, बल्कि थाणे, पालघर, रायगढ़ जैसे पड़ोसी जिलों तथा रत्नागिरि और सिन्धुदुर्ग जैसे दक्षिण कोंकण जिलों में भी हुये थे और इन चुनावों में पार्टी ने अपना प्रभाव दिखा दिया है।

उन्होंने कहा, "हमने दिखा दिया है कि जीत क्या होती है। यह तो शुरुआत है। हमें विधानसभा (चुनावों में भी) ऐसी ही जीत दर्ज करनी है। वर्तों विधायक ने आगे कहा कि

## कर्नाटक के मु.मंत्री अति प्रसन्न हैं वित्त मंत्री सीतारमन के खिलाफ एफ.आई.आर. दर्ज होने से

निर्मला सीमारमन के खिलाफ "इलैक्टोरल बॉण्ड" प्रकरण में उद्योगपतियों से डरा-धमका कर पैसे इकट्ठा करने का आरोप लगाते हुए एफ.आई.आर. दर्ज हुई है

-लक्ष्मण बैंकट कुची-

-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 28 सितम्बर। इलैक्टोरल बॉण्ड का मुद्दा फिलहाल तो खत्म होने वाला नहीं लगता है। केन्द्र में सत्तारूढ़ भाजपा सरकार की परेशानी बढ़ते हुए बैंगलोर की एक निचली अदालत ने केन्द्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन के खिलाफ कथित रूप से इलैक्टोरल बॉण्ड के जरिए वसूली के लिए मुकदमा चलाने की अनुमति दे दी है। ज्ञातव्य है कि इलैक्टोरल बॉण्ड अब खत्म हो गए हैं।

सुप्रीम कोर्ट ने इस वर्ष फरवरी में इलैक्टोरल बॉण्ड व्यवस्था को असंवैधानिक घोषित कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को ऑर्डर दिया था कि बॉण्ड किसने खरीदे और किस को दिए गए यह सारी जानकारी चुनाव आयोग के दे और आयोग आम जनता के लिए इसे अपनी वेबसाइट पर प्रकाशित करे। बाद में इलैक्टोरल बॉण्ड स्वीकार करने वालों

■ अब तक कर्नाटक के मु.मंत्री व कांग्रेस पार्टी रक्षात्मक मुद्रा में आए हुए थे, सी.बी.आई. को, मु.मंत्री की पत्नी को किए गए "भूमि आवंटन" के मामले की जाँच की इजाज़त नहीं देकर।

■ तथा भाजपा बार-बार नैतिकता के आधार, मु.मंत्री से इस्तीफा मांग रही थी, जब तक पूरे प्रकरण की निष्पक्ष जाँच न हो जाये।

■ अब सीमारमन के खिलाफ एफ.आई.आर. दर्ज होने पर कांग्रेस वित्त मंत्री सीतारमन आदि से केन्द्रीय मंत्रिमण्डल से इस्तीफा मांग रही है, जब तक एफ.आई.आर. का निस्तारण नहीं होता।

■ एफ.आई.आर. बनाम एफ.आई.आर. की राजनीति को जनता भारी रूचि से देख रही है।

के खिलाफ याचिका दायर की गई, हालांकि अभी सुप्रीम कोर्ट में कोई याचिका लम्बित नहीं है। लेकिन केन्द्र सरकार के लिए यह मुद्दा भारी चिन्ता बनकर लौट आया है

और एक एन.जी.ओ. जनाधिकार संघर्ष संगठन ने केन्द्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन, भाजपा अध्यक्ष जे.पी. नड्डा तथा कर्नाटक भाजपा के नेता नलिन कुमार कातील और वी.वा. विजयेन्द्र

के खिलाफ सांसदों व विधायकों के मामले देखने वाली स्पेशल कोर्ट में याचिका दायर की है और वसूली का आरोप लगाया है। एन.जी.ओ. के आदर्श अथर ने केस दायर किया है। केस देखने के बाद बैंगलोर कोर्ट ने केस खोलने की अनुमति दी और फिर स्थानीय पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट दर्ज कराई गई।

कोर्ट का यह आदेश इससे बेहतर समय पर नहीं आ सकता था। इस समय कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया और कांग्रेस पार्टी बुरी तरह से घिरे हुए हैं। जमीन घोटाळे के एक मामले में हाई कोर्ट के आदेश पर सिद्धारमैया के खिलाफ एफ.आई.आर. दर्ज की गई है। इसके बाद भाजपा ने जोर शोर से मुहिम छेड़ दी है तथा उनका इस्तीफा मांग रही है। भाजपा का कहना है कि उनके खिलाफ जाँच चल रही है तो वे मुख्यमंत्री कैसे रह सकते हैं। जाँच में निर्दोष साबित होने के बाद वापस आ (शेष पृष्ठ 3 पर)

फैमिली कोर्ट में कम आय बताई, पति पर परिवाद दायर होगा

जयपुर, 28 सितंबर। जयपुर मेट्रो-प्रथम की फैमिली कोर्ट-4 ने पत्नी व बेटी को भरण-पोषण राशि देने से जुड़े मामले में सेवानिवृत्त पति को और से अपने शपथ पत्र में कम आय बताने और

■ कोर्ट के जज बबन कुमार ने आदेश में कहा, पति ने अपने शपथ पत्र में एफ.डी.आर. से मिल रही ब्याज को (शेष पृष्ठ 3 पर)

तथ्य छिपाने को गंभीर माना है तथा कोर्ट के पेशकार को निर्देश दिया है कि वे पति के खिलाफ शपथ पत्र में तथ्यों को छिपाने सहित अन्य आरोप में जयपुर मेट्रो-प्रथम की सी.एम.एम. कोर्ट में परिवाद दायर करें।

कोर्ट के जज पवन कुमार ने आदेश में कहा, पति ने अपने शपथ पत्र में एफ.डी.आर. से मिल रही ब्याज को (शेष पृष्ठ 3 पर)

## हाईकोर्ट में उत्पन्न हुई अजीबोगरीब स्थिति!

इन्कम टैक्स विभाग के अधिवक्ताओं ने एक ही मुद्दे पर दिए परस्पर विरोधी बयान

जयपुर, 28 सितम्बर (कास)। राजस्थान हाईकोर्ट ने टैक्स की लंबित अपीलों पर विभाग के दोरुखे बयानों को रद्द करते हुए कहा कि अदालत के समक्ष 2 करोड़ रु की राशि से कम टैक्स मूल्य के जितने भी मामले हैं, उन्हें खारिज कर रहे हैं। अदालत ने कहा कि केन्द्र सरकार का 17 सितम्बर, 2024 को टैक्स संबंधी लंबित मामलों की संख्या कम करने के लिए विस्तृत नियम कायदे स्थापित करता है। न्यायाधीश अवनशी जिंगम और न्यायाधीश प्रवीण भटनागर ने यह आदेश सुरेन्द्र मौणा व अन्य कई अपीलार्थियों द्वारा दायर अपील पर सुनवाई करते हुए दिए। इस मामले में इन अपीलार्थियों की तरफ से मुख्य तौर पर अधिवक्ता सिद्धार्थ रांका पैरवी के लिए पेश हुए थे।

इस मामले में अपीलार्थी पर 55 लाख रुपए का कर दायित्व घोषित था, और इनकम टैक्स ट्रायब्यूनल्स ने विभाग के पक्ष में फैसला दिया था जिससे आहत होकर अपीलार्थी ने

■ अदालत ने परस्पर विरोधी बयानों को रद्द करते हुए कहा कि टैक्स मामलों में केन्द्र सरकार द्वारा 17 सितम्बर, 2024 को जारी सर्कुलर द्वारा तय की गई सीमा सभी लंबित मामलों पर लागू होगी।

■ केन्द्र सरकार ने 15 मार्च, 2024 को सर्कुलर जारी किया था जिसके तहत इन्कम टैक्स ट्रायब्यूनल्स में 60 लाख या उससे कम राशि के विवादों पर दायर अपीलों को, हाईकोर्ट में 2 करोड़ रु. या उससे कम राशि के मामलों को व सुप्रीम कोर्ट में 5 करोड़ रु. या उससे कम के मामलों को वापस ले लिया जाएगा।

■ केन्द्र सरकार द्वारा जारी स्पष्ट नोटिफिकेशन के बावजूद कर विभाग के द्वारा उनके वकीलों को स्पष्ट निर्देश नहीं दिए गए और वह अदालत के समक्ष विरोधाभासी बयान दे रहे थे, एक तरफ वकील कह रहे थे जारी सर्कुलर सभी लंबित मामलों पर लागू है। वहीं विभाग के दूसरे वकील कह रहे थे कि इन मामलों पर कुछ अपवाद लागू होंगे, जिस वजह से सभी मामले वापस नहीं लिए जा सकते।

चिन्हित किए गए मामले। हालांकि केन्द्र सरकार ने इस अपवाद को 17 सितम्बर, 2024 को जारी किए गए नए सर्कुलर में हटा दिया था।

केन्द्र सरकार ने इस संदर्भ में 24 सितम्बर, 2024 को पीआईबी के माध्यम से एक प्रेस विज्ञप्ति भी जारी की

थी, जिसके अनुसार टैक्स मामलों में वित्तीय सीमा बढ़ाने से अदालतों में चल रहे प्रत्येक कर के 4300 लंबित मामले कम होंगे व 4000 लंबित मामले के 1000 लंबित मामले कम होंगे।

केन्द्र सरकार का कहना था कि इस नियम परिवर्तन से अदालतों में टैक्स

संबंधी मामलों की संख्या घटायी जा सकेगी, व्यवसायियों तथा आमजन के लिए व्यवसाय करने में आसानी हो और टैक्स संबंधी व्यवस्था को भी सरल किया जा सके।

केन्द्र सरकार द्वारा जारी स्पष्ट नोटिफिकेशन के बावजूद कर विभाग के

प्रतिबंध के बावजूद वी.डी.ओ. के तबादले पर रोक

जयपुर, 28 सितंबर। राजस्थान सिविल सेवा अपीलीय अधिकरण ने राजकीय कर्मचारियों का तबादला करने पर लगे प्रतिबंध के बावजूद ग्राम विकास अधिकारी का तबादला करने पर

■ सिविल सेवा अपील प्राधिकरण ने पंचायती राज आयुक्त को नोटिस जारी किया।

पंचायती राज आयुक्त को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। इसके साथ ही अधिकरण ने तबादला आदेश की क्रियान्विति पर अंतरिम रोक लगा दी है। अधिकरण के अध्यक्ष विकास सीतारामजी भाले और सदस्य शुचि शर्मा ने यह आदेश मुकेश को अपील पर सुनवाई करते हुए दिए।

अपील में अधिवक्ता प्रेमचंद देवदा और अधिवक्ता अंकित स्वामी ने बताया कि अपीलार्थी चूरू की ग्राम पंचायत झारिया में ग्राम विकास (शेष पृष्ठ 3 पर)